न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

Encroachment Appeal no. 12/05-06

डीपो अधीक्षक, बिहार राज्य पथ परिवहन वनाम अनिल कुमार सिंह एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत लोक भूमि अतिक्रमण अपील इस न्यायालय के अपीलवाद संख्या– 5/04 में दिनांक– 18.2.2006 को पारित आदेश के अनुपालन में दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय यानि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के न्यायालय वाद संख्या– 394/04 दिनांक– 13.08.2004 बिहार लोक भूमि अतिक्रमण की धारा– 3 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालयमें बिहार गर्वनमेन्ट रेन्ट रिकभरी एवं एभीक्सन एक्ट की धारा 8 के अन्तर्गत दायर अपील संशोधन कर धारा– 8 के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया था।

अपीलार्थी डीपो अधीक्षक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सहरसा डीपो ने दाखिल वाद में कहा है कि:–

01. अनिल कुमार सिंह, पिता– सुरेन्द्र ना0 सिंह, गंगजला, सहरसा।
02. श्री देवेन्द्र भगत, पिता– जगदेव भगत, नयाबाजार, सहरसा।
03. श्री कार्तिक ठाकुर, पिता– स्व0 सुभंकर ठाकुर, साकिन व थाना– वनगॉव, सहरसा।
04. श्री हरिश्चन्द्र यादव, पिता– स्व0 शिव प्र0 यादव, शिवपुरी, सहरसा।
05. मो० शाहित, पिता– मो० शमसुद्धीन, सिटानाबाद, थाना– सोनवर्षा कचहरी, सहरसा।
06. श्री राजेश कुमार दास, पिता– विजय दास, गंगजला, वार्ड नं0–13, सहरसा।
07. श्री नन्दकिशोर शर्मा, पिता– स्व0 लक्ष्मी शर्मा, गंगजला, वार्ड नं0–13, सहरसा।
08. श्री कपिलदेव शर्मा, पिता– लक्ष्मण शर्मा, गंगजला, वार्ड नं0– 13, सहरसा।
09. श्री विद्यापति शर्मा, पिता– हरिश्चन्द्र शर्मा, गंगजला वार्ड नं0–13, सहरसा।
10. श्री योगेन्द्र दास, गंगजला, वार्ड नं0–13, सहरसा।
11. श्री अरूण कुमार दास, पिता– योगेन्द्र दास, गंगजला वार्ड नं0–13, सहरसा।
12. श्री सावन कुमार सिंह, पिता– गोनू प्रसाद सिंह, गंगजला वार्ड नं0–13, सहरसा।
13. श्री बद्री दास, पिता– विलट दास, गंगजला, वार्ड नं0–13, सहरसा।
14. श्री सुन्दर देव साह, गंगजला, सहरसा।
15. श्री मोहित साह, पिता– भगवान साह, साकिन व पोस्ट– घेघटा, जिला– छपरा।
16. श्री राजेश्वर पोद्धार, पिता– स्व0 मुशहरू पोद्धार, मानसी बाजार, जिला– खगड़िया।
17. श्री हीराकान्त झा, रिफ्युजी कॉलोनी, वार्ड नं0–2, सहरसा।

को राज्य पथ परिवहन निगम परिसर का वार्षिक बन्दोबस्ती के आधार पर इस शर्त्त के साथ दिया गया था कि बन्दोबस्ती किसी भी क्षण समाप्त की जा सकती है। यहॉ तक कि अगर राज्य पथ

परिवहन निगम को अपनी आवश्यकता होगी तो बन्दोबस्ती की अवधि के बीच भी बन्दोबस्ती रद्ध कर दी जायगी। निगम की अपनी आवश्यकता को देखते हुए प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के आदेश पर डीवीजनल मैनेजतर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पूर्णियॉ द्वारा बन्दोबस्ती रद्ध कर दी गयी तथा बन्दोबस्ती रद्ध किये जाने संबंधी सूचना उपरोक्त सभी 17 बन्दोबस्तदारों को दी गयी, लेकिन किसी भी बन्दोबस्तदार ने स्थान खाली नहीं किया। परिसर की भूमि को खाली करवाने का भी प्रशासक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा भी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर से अनुरोध किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा संबंधित पक्षकारों को नोटिस कर कारण–पृच्छा की मांग कर अपीलार्थी को सुने बिना पक्षकारों के पक्ष में फैसला सुना दिया। अग्रतर यह भी कहा गया है कि पब्लिक लैण्ड इनग्रोचमेन्ट एक्ट के तहत आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि गवर्नमेन्ट लैण्ड प्रोभिसेज एण्ड विल्डिंग एभीक्सन एक्ट के तहत आदेश पारित होना चाहिए था। इतना हीं नहीं बन्दोबस्तदार में अपील 2003 से किराया का भी भुगतान नहीं किया है।

अन्ततः अपीलार्थी ने उल्लिखित कारणों का हवाला देते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा विविध वाद संख्या– 394/04 में दिनांक– 13.08.2004 को पारित एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर निगम परिसर को खाली करवाने की याचना की है।

अपीलार्थी की ओर से सरकारी वकील तथा प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम परिसर के स्थल का वार्षिक बन्दोबस्ती इस शर्त्त के साथ किया गया था कि निगम को जब कभी इसकी आवश्यकता होगी इसे खाली कर दिया जायगा। नोटिस के बाद भी किसी भी बन्दोबस्तदार ने स्थल खाली नहीं किया। वर्ष 2003 को बन्दोबस्तदार की बन्दोबस्ती की अवधि न तो विस्तारित हुआ और न ही बन्दोबस्तदारों ने किराया दिया, बल्कि कुछ किरायेदारों ने किसी अन्य का किराये पर दे दिया हे।

वर्त्तमान में चूँकि राज्य पथ परिवहन निगम को अपने बसों के रख–रखाव तथा अन्य कार्यो के लिए उक्त स्थल की आवश्यकता है और निम्न न्यायालय ने एकरारनामा के शर्त्त को नजरअंदाज कर प्रतिपक्षियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं हे।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा दिनांक– 13.08.2004 के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि वर्त्तमान में अवेध कब्जाधारियों से निगम परिसर को अविलम्ब खाली करवा दें।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

30.3.2011

जिला पदाधिकारी,